

छत्तीसगढ़ शासन  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर  
—:: आदेश ::—

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05 जुलाई, 2021

क्रमांक एफ 1-13/2017/29-1(पार्ट-1) :: विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 एवं छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत धाराओं एवं नियमों के उल्लंघन पर अपराध प्रकरण दर्ज करना एवं निराकरण, प्रकरण प्रबंधन की प्रक्रिया तथा विनिर्माता पैकर एवं आयातकों का पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने के संदर्भ में विधिमान्य समझे जायेंगे।

2/ यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार

(अमितोष जॉन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग

पृ.क्र. एफ 1-13/2017/29-1(पार्ट-1) : नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05 जुलाई 2021  
प्रतिलिपि:—

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
02. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
03. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, ।
04. समस्त सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़।
05. समस्त निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग